न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-21/2013

-22/2013

1- रामकरण सर्राफ पुत्र दिलसुख सर्राफ जाति महाजन अग्रवाल---आदि

--प्रार्थीगण/अपीलान्टस--

----बनाम---

1- मूर्ति मन्दिर धोली सती फतेहपुर जरिये व्यवस्थापक गोपीकिशन पुत्र झाबरमल जाति महाजन सर्राफ---आदि

--अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-151 सीपीसी
रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 के नाम हजफ
किये जाने बाबत ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री सांवरमल एडवोकेट- प्रार्थी/अपीलान्ट

2-श्री मदनलाल शर्मा एडवोकेट- अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 31-5-2018

संक्षेप में प्रार्थीगण/अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या-2 मोहनलाल व रेस्पोडेन्ट संख्या-3 लक्ष्मीकान्त अपील में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे अपील में आवश्यक पक्षकार बनाया गया था किन्तु दौराने अपील रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 का देहान्त हो गया । जिसकी जानकारी तामिल पर आई सूचना से जानकारी हुई । रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 के वारिसान का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। इस कारण इनके वारिसान को पक्षकार बनाया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाना आवश्यक नहीं है । अतः रेस्पोडेन्ट संख्या-2 मोहन पुत्र टोडरमल एवं रेस्पो0 सं0-3 लक्ष्मीकान्त पुत्र रामनिवास का अपील से नाम हजफ किया जावे ।

विद्वान वकीलअप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने जबाब पेश करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 को अपील में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है । रेस्पोडैन्ट सं0-2 मोहनलाल की मृत्यु अपील पेश करेन से पूर्व ही हो चुकी थी । रेस्पोडैन्ट संख्या-3 की लक्ष्मीकान्त उर्फ भूरिया पुत्र रामनिवास की मृत्यु नहीं हुई है यह जीवित है उसको अपीलान्ट मृत बताकर अपील से उसका नाम हजफ कराना चाहता है तथा दूसरी तरफ इनके वारिसान को अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने का निवेदन किया । रेस्पोडैन्ट संख्या-2 व 3 वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है जो अपील में भी आवश्यक पक्षकार है । जिनका नाम हजफ कराने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडैन्ट संख्या-2 मोहन की मृत्यु दिनांक 25-10-2012 को हुई है । जबकि अपील दिनांक 10-1-2013 को पेश की गई है । इस प्रकार अपीलान्ट ने अपील एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील रेस्पोडैन्ट संख्या-2 मोहन के कायम मुकामान के अभाव में अपील पूर्णतः अबैट हो चुकी है । अतः अपीलान्ट की अपील कायम मुकाम के अभाव में अबैट होने पर खारिज की जावे ।

बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । यह स्वीकृततथ्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या-2 मोहन की मृत्यु अपील पेश होने के पूर्व ही दिनांक 25-10-2012 को हो चुकी थी । रेस्पोडेन्ट संख्या-3 जीवित है । अपीलान्ट ने इस बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या-3 का नाम हजफ करने का निवेदन किया है । तथा प्रार्थना पत्र में यह भी जाहिर किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 का विवादित आराजी में कोई लेना देना नहीं है रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आवश्यक पक्षकार है । जिनका नाम कानूनन हजफ नहीं किया जा सकता ।इनके वारिसान को पक्षकार बनाया जाना ही आवश्यक है । किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या-3 जीवित है । इस बाबत अपीलान्ट ने रेस्पोडैन्ट के जवाब के बाद कोई जवाब पेश

नहीं किया । तथा रैस्पोडेन्ट संख्या-3 का नाम क्यूंकर अपील से हजफ करने का निवेदन किया स्पष्ट नहीं किया । रैस्पोडेन्ट संख्या-2 अपील से पूर्व ही फौत हो चुका जिसके कानूनी वारिसों को अपीलान्ट ने जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया अपील बिना कानूनी वारिसानों को पक्षकार बनाये अपील पेश की है। इस कारण अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी है । अपील में संयुक्त रूप से हित निहित है इस कारण यह सम्पूर्ण अपील अबैट की जाती है ।

अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र नाम हजफ किये जाने का खारिज किया जाकर रैस्पोडेन्ट संख्या-2 मोहन के कानूनी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाये जाने से यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील अपीलान्ट अबैट होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.5.18 को सुनाया गया

[illegible]
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर